Transfer of Cantonment Land for Civilian Purposes

2605. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:
SHRI RAM RATAN RAM:
SHRI VISHNU KANT SHASTRI:
SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the area of cantonment lands in the country lying unutilised as on May, 31, 1992;

(b) whether there is or was any proposal to utilise the lands under the cantonment Boards for civilian purposes;

(c) whether any proposal has been mooted to transfer the land under Cantonment Board, Pune or any other Cantonment Board for civilian purposes;

(d) whether the army or any other defence wing had opposed the transfer of the Cantonment land; and

(e) if so, the details thereof??

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (e) No assessmet of Defence lands laying unutilised in Cantonments, as on 31-5-1992, has been undertaken. Lands in Cantonments are earmarked for the present and future needs of the Armed Forces. Lands apparently lying vacant are not necessarily surplus to Defence requirements as they may have been kept vadant for various military reasons, such as security, safety requirements, training purposes, etc. or for future use because of paucity of funds to undertake planned constructions.

No propsal has been initiated to declare lands in Pune or any other Cantonment as surplus to Defence requirements. The present policy permits allotmet of lands in Civil Areas of Cantonments, not required by the Armed Forces and Cantonment Boards for municipal purposes, to Group Housing Societies of Cantonment Board employees belonging to the weaker sections/cooperatives of serving and retired Defence personnel. The land policy also permits grant of leases of lands to public institutions, such as Post Offices, Banks Schools and public utility concerns, including recognised and well-known educational and charitable institutions run by registered societies or public trusts, on the merits of each case, by the Government, where such lands can be spared.

खाद्य प्रसंस्करण एकक

2606. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण एककों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) सरकारी और निजी क्षेत्रों में ऐसे एककों की संख्या कितनी-कितनी हैं और इनमें से कितने एकक लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं; और

(ग) इनमें से कितने एककों को कुछ पर्यावरणीय पहलुओं के कारण पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति नहीं मिली है और ऐसे कितने मामले पर्यावरण मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) यद्यपि सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या से संबंधित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है परन्तु फल उत्पाद आदेश और मछली प्रसंस्करण यूनिटों के अन्तर्गत चावल मिलों, रोलर आटा मिलों, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों और मृदु वातित जल तैयार करने वाले यूनिटों की संख्या से संबंधित राज्यवार सूचना अनुपत्र में

दी गई है [देखिए परिशिष्ट 164, अनुपत्र सं. 40]। इसके अलावा उपायुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय द्वारा की गई गणना के अनुसार 31.3.88 तक देश में खाद्य उत्पाद तैयार करने वाले 96123 लघु यूनिट थे।

(ग) चूंकि अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर्यावरण प्रदूषित नहीं कर रहे हैं अतः उन्हें पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। परन्तु राज्य सरकार को वर्तमान नीति के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से औद्योगिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक स्वीकृति लेना जरूरी है

राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण एकक

2607. **श्री शिव चरण सिंह :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में राजस्थान नहर और गंगा नहर के क्षेत्रों में फलों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है और यदि हां, तो वहां पर कितने खाद्य प्रसंस्करण एकक लगाए गए हैं या लगाये जाने का विचार है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार पूर्वी राजस्थान के सरसों व प्याज उत्पादक क्षेत्रों में कोई कारखाना लगाने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) राजस्थान में किन-किन स्थानों पर किस-किस खाद्य-वस्तु के प्रसंस्करण हेतु खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के **राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो)** : (क) राजस्थान में फलों का उत्पादन 1988–89 में भारत में कुल उत्पादन का 0.8% होने की सूचना दी गई थी।

(ख) यद्यपि यह मंत्रालय सीधे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता है परन्तु इस सेक्टर में इस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजना स्कीमों के अन्तर्गत राज्य सरकार सार्वजनिक सेक्टर उपक्रमों/सहकारिताओं आदि को सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों सेक्टरों में होने के कारण सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थापित किया जाना

2608. **श्री महेश्वर सिंह :**
श्री विनोद शर्मा :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 200 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को देश के प्रत्येक जिले में लागू करने का निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रति वर्ष कुल कितने-कितने युवकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है और प्रत्येक केन्द्र पर प्रति वर्ष कितनी-कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता देने के लिए सरकार ने एक स्कीम तैयार की है। आठवीं योजना अवधि के दौरान सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित लगभग 250 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र प्रस्तावित हैं। ऐसे प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में लगभग 50 से 60 युवक प्रशिक्षित हो सकते हैं। स्कीम के अन्तर्गत संयंत्र और मशीनरी सहित कुछ गुणवत्ता एवं परीक्षण उपस्करों